जीत.ड बनाम रामप्रकाश वगैरह

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.9.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। तहसीलदार बसेड़ी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष बहस की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। हमने विभाजन प्रस्ताव व पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रकरण की अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। पत्रावली वास्ते आदेश अंतिम डिक्री दिनांक 12.09.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी (धौलपुर) राज.	
12.09.25	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उप.। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रकरण की अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी (धौलपुर) राज.	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या0 76/21

1. जीतेन्द्र पुत्र राधे उम्र करीब 31 वर्ष जाति कोली निवासी ग्राम बरई तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..... वादी

बनाम

1. रामप्रकाश पुत्र कन्हैया जाति जाटव निवासी ग्राम बरई तहसील बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान
2. प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैक शाखा बसेडी तहसील बसेडी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी व हैसियत भू–स्वामी

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)
वकील वादी –श्री सुखराम सिंह परमार एड0
वकील प्रतिवादीगण – श्री मुन्नालाल मित्तल एड0

दिनांक 12.09.2025

निर्णय

हस्तगत प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53,188, आर.टी.एक्ट इन तत्थो के साथ प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त कृषि योग्य आराजी स्थित ग्राम बरई तहसील बसेड़ी की आराजी ख.न क्रमशः 810, 811, 812, रकवा क्रमशः 0.0500, 0. 1000, 0.0900 हैक्टैयर कुल किता 3 कुल रकवा 0.2400 हैक्टैयर है। विवादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रतिवादी सख्या 1 की जाति जाटव है। भूलवश अथवा सहवन से रामप्रकाश पुत्र कन्हैया की जाति रिकॉर्ड में जाटव की जगह कोली अंकित कर दी गई है। जो गलत है। सही जाति जाटव है। जिसे दुरूस्त किया जावे अर्थात कर सही कराने का अधिकारी है। एतर्थ दावेदार है। मौके पर विवादग्रस्त आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार है। तथा काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस प्रकार वर्तमान में विवादित आराजीयात के पक्षकारान सहखातेदारो वादी जीतेन्द्र कोली 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या रामप्रकाश जाटव 1/2 भाग है। विवादित आराजीयात का अभी विभाजन नही हुआ है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त रूप से मुताबिक हिसा काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा जब तक बटवारा नही हो जाता है। तब तक प्रतिवादी विवाद ग्रस्त आराजीयात में से विक्रय नही करे ना ही रहन, वय मुन्तकिल ही करे ना ही संयुक्त कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करे ना परेशान करे। ब्राहमी विभाजन करने पर तथा वादी के मुताबि भाग 1/2 भाग को अलग करने की रही तो प्रति0 संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा धमकियों दी कि वादी का कोई भाग हिस्सा नही है अतः अब वे वादी को उनके मुताकिक भाग के अनुसार ना तो काश्त करने देगे ना ही फसल लेने देगे तथा अब प्रति0 सम्पूर्ण आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने की एवं जबरन अच्छी–अच्छी जगह पर निर्माण करने की धमकियों दे रहे है। परेशान कर रखा है। पिछले 7 दिन पूर्व दिनांक 24.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को धमकी दी कि वह इस वार विना हमारे पूछे बताये खोतो की मेडो को नही

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

ले ना ही फसलो में खाद डाले ना ही फसलो को काटे ना ही खेतो को जोते बाये क्योकि ने कुछ आराजीयात को किसी दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने की ठानी है। वादी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे व प्रतिवादी का कभी भी बटवारा नही हुआ है। इसलिये आप लोग बिना बटवारा कराये विवादित अराजीयात को विक्रय नही करे। विशेष दिशा पर कब्जा करे ना ही निर्माण करे यह सुनकर प्रतिवादी आग बबूला हो गया तथा स्पष्ट रूप (तौर) पर वादी से बोले तुमने इसवार खेतो को जाता–वोया या फसल वाटी तो तुम्हे जाने से मार देगे तथा में चलाव वाला हू हम लोग जबरन सम्पूर्ण जमीन को छुडालेगे जबरन कब्जा कर लेगे। विक्रय कर देगे। प्रति0 संख्या 1 लठ्ठ व चलाव वाला है। जो विना बटवारा कराये वादी व प्रतिवादी की सामलाती काश्त की आराजीयात पर विशेष दिशा की आराजीयात पर आधिपत्य नही कर सकते है। तथा ना ही विशेष अच्छी–2 दिशा की आराजीयात को विक्रय कर सकते है। यदि प्रतिवादी ने अपनी धमकी के मुताविक वादी को विवादग्रस्त अराजी से वेदखल कर दिया अथवा कब्जा कर लिया एवं किसी दीगर व्यक्ति को विकय कर दिया तो वादी को अपार क्षति होगी वादी बर्वाद हो जायेगा। विवादग्रस्त आराजीयात का अभी विभाजन नही हुआ है। तथा वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त रूप से मुताविक हिस्सा काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा जब तक बटवारा नही हो जाता है तक तक प्रतिवादी विवादगस्त आराजीयात में से विक्रय नही करे ना ही निर्माण कार्य करें। प्रतिवादी जबरन ताकत के बल पर वादी की कमजोरी का लाभ उठाकर विवादित आराजीयात की अच्छी–अच्छी जगह पर जबरन कब्जा करना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नही है। तथा अब प्रति0 सम्पूर्ण आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी दे रहे है। तथा जबरन निर्माण कार्य करने की भी धमकी दे रहे है। वाद कारण करीब 7 दिवस पूर्व दिनांक 24.09.2021 को झगडा करने व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को विवादग्रस्त आराजी में से बेदखल करने बिना बटवारा कराये सम्पूर्ण आराजीयात को दीगर व्यकियो को विक्रय करने की धमकी देने तथा जबरन निमार्ण करने की धमकी देने तथा मना करने पर झगडा करने पर स्थान ग्राम बरई तह0 बसेडी जिला धौलपुर अन्दर अदालत पैदा हुई जो आज भी जारी है। अब वादी को यह आवश्यक हो गया है। तक विवादग्रस्त आराजीयात में अपना हिस्स वादी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कराके बटवारा किया जावे एवं वादी के हिस्से का लगान अदा अलग से करे तथा प्रतिवादी0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जेकात में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे अर्थात कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे ना ही बगैर बटवारा कराये दीगर व्यकियों को विकय करें। प्रतिवादी संख्या 2 के विवादग्रस्त आराजीयात गिरवी रखी होने के कारण एवं आवश्यक पक्षकार होने के कारण तथा प्रति0 3 को आवश्यक पक्षकार होने के कारण तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ कोई भी अनुतोष नही चाहा गया है।

अन्त में वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है किः–

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी0 निम्न प्रकार डिक्री किया जावे कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर कमशः 810, 811, 812, रकवा कमशः 0.0500, 0.1000, 0.0900 हैक्टैयर कुल किता 3 कुल रकवा 0.2400 हैक्टैयर स्थित ग्राम बरई तहसील बसेडी जिला धौलपुर का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर वादी के हिस्से 1/2 भाग की आराजीयात का खाता पृथक –पृथक कायम किया जावे तथा उस पर पृथक लगान कायम किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से में आई आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें एवं बिना बटवारा कराये अन्य किसी दीगर व्यक्तियों को विक्रय नही करे। ना ही रहन, वय मुन्तकिल करे ना ही परेशान करे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। हाजिर अदालत न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मुन्नालाल मित्तल एड0 द्वारा उपस्थित न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जाकर इकवाल दावा प्रस्तुत किया। हमने प्रकरण को दिनांक 05.01.2024 को प्राथमिक डिक्री पर तहसीलदार बसेड़ी से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु पत्र जारी किया गया।

तहसीलदार बसेडी से विभाजन प्रस्ताव पत्रांक/भू0अभि0/2024/1402 दिनांक 22.08.2024 से प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये। वहस सुनी गयी।

अतः वाद वादी बाबत तकासमा आराजी मुताविक कुर्रे कायमी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अंतिम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम बरई तहसील बसेडी में पक्षकारान के नाम के सम्मख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त बरई तहसील बसेडी में निम्नानुसार रहेगी एवं रहन का अंकन यथावत रहेगा।

राजस्व गाव व खाता संख्या	क.स.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म	लगान
बरई	1	जीतेन्द्र पुत्र राधे जाति कोली सा. देह खातेदार	812 810/1	0.0900 है0 0.0300 है0	चा0 प्र0 चा0 प्र0	2.70 0.90
			कुल किता 2	0.1200 है0	—	3.60
	2	रामप्रकाश पुत्र कन्हैया जाति कोली सा. देह खातेदार	811 810/2	0.1000 है0 0.0200 है0	चा0 प्र0 चा0 प्र0	3.00 0.60
			कुल किता 2	0.1200 है0	—	—

आज 12.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedur coud appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

रामप्रकाश बनाम जीतेन्द्र बगैरा

विस्तृत उनवान पुस्त पर दर्ज है
दावा बावत् अधीन
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 76/21

वादीगण की की ओर से श्री सुखराम परमार एडवोकेट की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 12.09.2025 को सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी मुताविक कुर्रे कायमी रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि बरई तहसील बसेड़ी में विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त बरई तहसील बसेडी में निम्नानुसार रहेगी एवं रहन का अंकन यथावत रहेगा। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अगं रहेगे।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपये		रूपये
	–	–	–
जोड		जोड	

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे की इब्तदाई

(ओ 20 ए 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code appendix D-1)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बसेडी

इजलास सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

जीतेन्द्र बनाम रामप्रकाश बगैरा

1. जीतेन्द्र पुत्र राधे उम्र करीब 31 वर्ष जाति कोली निवासी ग्राम बरई तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..... वादी

बनाम

1. रामप्रकाश पुत्र कन्हैया जाति जाटव निवासी ग्राम बरई तहसील बसेडी जिला धौलपुर राजस्थान
2. प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैक शाखा बसेडी तहसील बसेडी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी व हैसियत भू–स्वामी

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी–सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner